प्रेस विज्ञप्ति
06.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने 03.07.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के अंतर्गत भारत पार के सीमा म्यांमार- संलिप्त में शोधन धन के आय अर्जित उससे तथा तस्करी की (नट अरेका) सुपारीएक बड़े संगठित गिरोह के संबंध में की जा रही जांच के क्रम में असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में स्थित 20 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।

यह मामला असम के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज अनेक प्राथिमक सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) से जुड़ा है, जिनमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं तथा सहपठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत सुपारी (अरेका नट) की अवैध तस्करी तथा सीमा शुल्क की चोरी से संबंधित अपराध शामिल हैं। यह जांच राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), गुवाहाटी आंचलिक इकाई के निष्कर्षों पर आधारित है, जिसने माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में परिवहन में प्रयुक्त वाहनों सहित 655.32 मीट्रिक टन सुपारी (अरेका नट) को निरुद्ध कर जब्त किया था।

ईडी की जांच में यह उजागर हुआ कि यह गिरोह मिजोरम (मुख्यतः चाम्फाई जिले) स्थित ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के नेटवर्क के माध्यम से संचालित हो रहा था, जो भारत-म्यांमार सीमा के पार सुपारी (अरेका नट) की तस्करी में संलिप्त थे, जिनमें ह्मिंगथनज़ामी (मालिक, मेसर्स बेकी कुहवा डावर), श्रीमती लालरिनछानी (मालिक, मेसर्स एल. आर. स्टोर) तथा श्रीमती लालेनकावली (मालिक, मेसर्स के. एल. स्टोर); असम स्थित सुविधाप्रदाता, जिनमें अबुब अहमद मजूमदार (पूरे गिरोह के प्रमुख सुविधाप्रदाताओं में से एक) तथा प्रदीप कुमार पाल (मालिक, मेसर्स शारदा ट्रेडर्स); पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में स्थित परेषिती/वित्तपोषक, जिनमें फालाकाटा की मेसर्स जय माताजी एंटरप्राइजेज, नवद्वीप की मेसर्स नवद्वीप अरेका नट प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी की मेसर्स शुभ ट्रेडिंग कंपनी तथा वाराणसी की मेसर्स चिमेरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड; चक्रीय व्यापार को सुगम बनाने हेतु रसीद उपलब्ध कराने वाले कोलकाता के श्री शशि कुमार चौधरी (स्वामी, मेसर्स एस. के. एंटरप्राइजेज) तथा लॉजिस्टिक्स सुविधाप्रदाता मेसर्स बीकानेर असम रोडलाइन्स इंडिया लिमिटेड (गुवाहाटी) शामिल हैं।

जांच में यह भी उजागर हुआ कि यह गिरोह म्यांमार से विदेशी मूल की सुपारी (अरेका नट) की भारत-म्यांमार सीमा के पार चाम्फाई-जोखावथार मार्ग के माध्यम से तस्करी करता है, जबकि चाम्फाई जिले में स्वयं सुपारी का कोई उत्पादन नहीं होता है। केंद्रीय एवं राज्य सरकार की एजेंसियों से प्राप्त आधिकारिक उत्पादन संबंधी आंकड़ों से इस बात की पुष्टि हुई कि जिस चाम्फाई जिले को अधिकांश खेपों के उद्गम स्थल के रूप में दर्शाया गया था, वहां संबंधित वर्षों के दौरान सुपारी (अरेका नट) का घरेलू उत्पादन शून्य दर्ज किया गया था, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उक्त माल विदेशी मूल का था, जिसकी भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से तस्करी कर लाई गई थी। वैधता का झूठा आभास उत्पन्न करने के लिए यह गिरोह जाली जीएसटी रसीदों, फर्जी आपूर्तिकर्ता/क्रेता फर्मों तथा कूटरचित परिवहन दस्तावेजों का उपयोग करता है। इसके उपरांत, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के क्रेताओं के माध्यम से प्राप्त धनराशि को विभिन्न स्तरों पर छिपाया

जाता है, जो सिलचर/असम स्थित हवाला संचालकों को भुगतान करते हैं। ये हवाला संचालक धनराशि को मुख्यतः मिजोरम ग्रामीण बैंक के अंतरवर्ती खातों के माध्यम से प्रेषित करते हैं, जिससे वास्तविक जमाकर्ताओं की पहचान छिप जाती है, और अंततः यह धनराशि चाम्फाई स्थित तस्करों तक पहुंचती है। इसके पश्चात्, उन खातों से बड़ी मात्रा में नकद निकासी कर उसे हवाला के माध्यम से पुनः म्यांमार स्थित आपूर्तिकर्ताओं को भेज दिया जाता है, जिससे धन शोधन का पूरा चक्र पूर्ण हो जाता है।

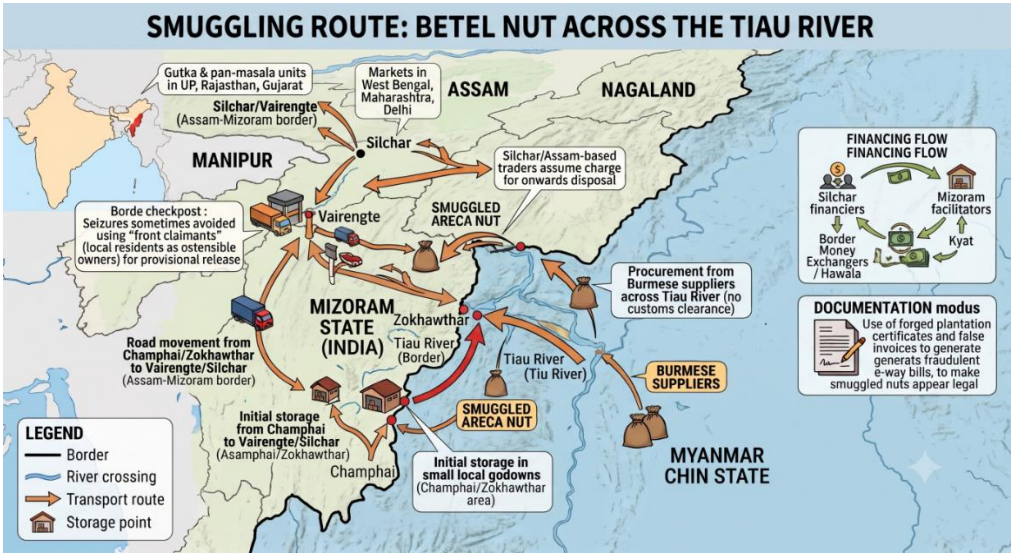

वित्तीय जांच, जिसमें बैंक खातों, जीएसटी विवरणियों तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी आंकड़ों का परीक्षण शामिल है, से यह उजागर हुआ है कि इस गिरोह द्वारा ₹1,500 करोड़ से अधिक की अपराध से अर्जित आय सृजित की गई, जिसे तस्करों तक पुनः पहुंचाने से पूर्व चालू खातों, अंतरवर्ती खातों तथा मुखौटा/शेल संस्थाओं के जटिल नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर छिपाया गया।

तलाशी अभियान के दौरान, सुपारी (अरेका नट) के व्यापार से संबंधित हस्तलिखित अभिलेखों (डायरियों), अभियुक्तों तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर धारित अचल संपत्तियों से संबंधित स्वामित्व विलेख एवं अन्य संपत्ति दस्तावेजों, व्यावसायिक अभिलेखों तथा मोबाइल फोन, लैपटॉप एवं हार्ड ड्राइव सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतिरिक्त ₹1.30 करोड़ की अज्ञात स्रोत की नकद राशि सहित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत जब्त किए गए। तलाशी के दौरान तस्करों से संबद्ध कुल 33 बैंक खातों को भी फ्रीज करने के आदेश जारी किए गए। तलाशी के दौरान यह भी पाया गया कि अपराध से अर्जित आय का अचल संपत्तियों में निवेश कर उसका समेकन किया गया था तथा चाम्फाई, सिलचर, गुवाहाटी, नवद्वीप, फालाकाटा, कोलकाता एवं वाराणसी में तस्करों तथा सुविधाप्रदाताओं द्वारा पॉश क्षेत्रों में स्वतंत्र विला तथा बहुमंजिला इमारतों के रूप में विशाल संपत्तियों का क्रय एवं विकास किया गया था।

तलाशी अभियान के दौरान, सुपारी (अरेका नट) के व्यापार से संबंधित हस्तलिखित अभिलेखों (डायरियों), अभियुक्तों तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर धारित अचल संपत्तियों से संबंधित स्वामित्व विलेख एवं अन्य संपत्ति दस्तावेजों, व्यावसायिक अभिलेखों तथा मोबाइल फोन, लैपटॉप एवं हार्ड ड्राइव सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतिरिक्त ₹1.30 करोड़ की अज्ञात स्रोत की नकद राशि सहित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज जब्त किए गए।

आगे की जांच प्रगति पर है।

(गुवाहाटी)

(गुवाहाटी)

(फालाकाटा)

(नवद्वीप)

(चाम्फाई)

(वाराणसी)

(सिलचर)